

बिहार सरकार  
गृह विभाग  
अभियोजन निदेशालय

कार्यालय आदेश संख्या.....132...../2026

सं०सं० अ०नि० (02) 35/2026/नि०सं०

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 792(24) दिनांक 13.04.2026 द्वारा प्राप्त उपार्जित अवकाश अदेयता प्रतिवेदन के आलोक में श्री रिशु कुमार, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, मुंगेर को बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 230 के अन्तर्गत स्वयं की शादी हेतु दिनांक 09.03.2026 से 19.03.2026 तक कुल 11 (ग्यारह) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि०(02) 35/2026/नि०सं०.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, मुंगेर/मुख्य अभियोजक, मुंगेर/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/श्री रिशु कुमार, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि०(02) 35/2026/नि०सं०.....1327

दिनांक 15/5/26

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव।

*Varatan*